

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235641
SG-DL-E-07052022-235641

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57
No. 269]	DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944	[N. C. T. D. No. 57

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

फा. सं. 8/272/2020/गृह पुलिस-II/760-74.—दिनांक 08/03/2021 की अधिसूचना सं. फा. 8/272/2020/गृ.पु.-II/617-632 के अधिक्रमण में तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा विशेष निर्देश देते हैं कि दिल्ली के प्रत्येक जिले/नामित न्यायालयों में अपर सत्रीय न्यायाधीश-02 न्यायालय के साथ संलग्न अभियोजन निदेशालय के प्रत्येक अपर लोक अभियोजक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 के अंतर्गत ऐसे न्यायालयों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन इस प्रकार के लंबित मामलों से निपटने के लिए इस कार्यालय के गृह विभाग/अभियोजन निदेशालय द्वारा स्थानांतरण अथवा पदस्थापन आदेशों के अनुसरण में, नामित न्यायालय अथवा विशेष न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, में अपर अभियोजक के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विशेष लोक अभियोजक की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

यह माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एल.के. गौतम, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th April, 2022

F.No. 8/272/2020/HP-II/760-74.—In supersession of Notification No. F. No. 8/272/2020/HP-II/617-632 dated 08-03-2021 and in exercise of the powers conferred by Section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby specify that each of the Additional Public Prosecutor of Directorate of Prosecution, attached with court of Additional Sessions Judge-02, in the each district of Delhi/Designated Courts shall exercise the powers of Special Public Prosecutor under Section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993 to deal with such cases pending in such Courts under the Protection of Human Rights Act, 1993 with effect from the date of assuming the charge of the post of Additional Prosecutor of the designated Court or Special Courts, as case may be, in pursuance of the transfer or posting orders made by the Home Department / Directorate of Prosecution of this office.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

L. K. GAUTAM, Dy. Secretary (Home-II)